(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 31 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 179

बउनवान

देवीलाल पुत्र श्री कालूलाल जाति माली निवासी बरसत तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1. लटूर पुत्र श्री रामा जाति चमार निवासी ग्राम बरसत तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट, 1955 प्रकरण संख्या 03 / 2024 मे पारित निर्णय दिनांक 21.10.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :– 1– श्री अरविंद सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांट)
2– अनुपस्थित (रेस्पो. क्रम 1)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 2)

निर्णय दिनांक 28.02.2025

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 03 / 2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान लटूर बनाम देवीलाल माली मे पारित निर्णय दिनांक 21.10.2024 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 29.10.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित है। रेस्पो. क्रम 02 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो. क्रम 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया था जिसमें ग्राम बरसत तहसील छीपाबड़ौद की आराजी खसरा नं. 63 रकबा 1.0522 हेक्टर भूमि स्थित [illegible] 1 / 6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड शामलाती खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त वर्णित [illegible] का विभाजन नहीं हुआ है। उक्त वर्णित आराजियात पर से अपीलांट [illegible] द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो कानून के खिलाफ [illegible] तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में [illegible] कानूनी त्रुटि करते हुए [illegible] निर्णय पारित किया है और न हीं प्रकरण संख्या डाले गये है और न हीं दर्ज रजिस्टर किया गया है तथा उक्त आराजियात रेस्पो. का 1 / 6 हिस्सा बताया है तथा रेस्पो. के अन्य सहखातेदारान जिनको भी इस प्रार्थना पत्र में बिना बंटवारा किये पक्षकारान नहीं बनाया गया है और न हीं इनको सुना गया है। जबकि वर्तमान जमाबंदी में रेस्पो. क्रम 01 के साथ में शामलाती खातेदारी में नाम दर्ज है जिसकी जमाबंदी प्रदर्श पी 1 में रेस्पो. क्रम 01 के 16 अन्य सहखातेदार है जिन्हें उक्त प्रार्थना पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान नहीं बनाया गया है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से बिना सहखातेदारों को सुने यह निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा रेस्पो. क्रम 01 के पिता रामा की मृत्यु के बाद रेस्पो. क्रम 01 के साथ उसके भाई कालू का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है जिसके द्वारा अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि रेस्पो. क्रम 01 के पिता द्वारा विक्रय की गई आराजी की लिखापढी पर कालू के हस्ताक्षर है।

उक्त वर्णित आराजियात खसरा नं. 63 रकबा 1.0522 हेक्टर भूमि में रेस्पो. क्रम 01 के पिता श्री रामा वल्द भैरू व कालू पुत्र श्री रामा जाति चमार (बैरवा) निवासी बरसत ने अपने जीवनकाल में अपने हक व हिस्से की आराजियात का बेचान दिनांक 15.05.1982 को 2900/– रूपये में अपीलांट को कर दिया था जिसकी राशि रेस्पो. क्रम 01 के पिता व भाई कालू द्वारा अपीलांट से प्राप्त करके कब्जा एवं दखल भी मौके पर संभला दिया था जिसकी लिखापढी भी अपीलांट के पक्ष में 20/–रूपये, 5/–रूपये, 2/–रूपये व 2/–रूपये कुल चार किता कुल कीमती 29/–रूपये के स्टाम्प पर करवाकर अपीलांट को सुपुर्द किया था जिस पर रेस्पो. क्रम 01 व भाई कालू एवं गवाहान छीतरलाल गुर्जर व कालू किशना बैरवा के हस्ताक्षर है, को मौके पर कब्जा एवं दखल संभला दिया गया था। बाद खरीद से हीं अपीलांट उक्त आराजियात पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है जिसे करीबन 42वर्ष हो चुके है। प्रकरण में धारा 42 का भी उल्लंघन हुआ है। उन सब तथ्यों की ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर न करते हुये एकतरफा निर्णय अपीलांट के विरूद्ध पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त आराजी आबादी के पास स्थित है जिसमें अपीलांट द्वारा बगीचा लगाया हुआ है जिसमें कटहल, आवंला, आम, बोर व नींबू के पेड़ लगे है तथा अपीलांट ने उक्त आराजी को खरीद के बाद पैसा खर्च करके कुआं खुदवाकर कोटर बाउण्डरीवाल करवा रखी है। रेस्पो. क्रम 01 द्वारा यह कार्यवाही 41वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर होने से स्वतः हीं निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 21.10.2024 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो. क्रम 02 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि रेस्पो. क्रम 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया। प्रार्थना पत्र में दर्शित आराजी की रिपोर्ट भी हल्का पटवारी से मंगवाई जाकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में **अपीलांट के अभिभाषक** का मुख्य कथन है कि उक्त आराजियात रेस्पो. का 1/6 हिस्सा बताया है तथा रेस्पो. के अन्य सहखातेदारान जिनको भी इस प्रार्थना पत्र में बिना बंटवारा किये पक्षकारान नहीं बनाया गया है और [illegible] जबकि वर्तमान जमाबंदी में रेस्पो. क्रम 01 के साथ में शामलाती खातेदारी में नाम द[illegible]की जमाबंदी प्रदर्श पी 1 में रेस्पो. क्रम 01 के 16 अन्य सहखातेदार है [illegible] नहीं बनाया गया है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का [illegible] विपरीत होने से बिना सहखातेदारों को सुने यह निर्णय पारित किया है [illegible] योग्य है तथा रेस्पो. क्रम 01 के पिता रामा की मृत्यु के बाद रेस्पो. क्रम 01 के साथ उसके [illegible] कालू का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है जिसके द्वारा अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि रेस्पो. क्रम 01 के पिता द्वारा विक्रय की गई आराजी की लिखापढी पर कालू के हस्ताक्षर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित आराजियात खसरा नं. 63 रकबा 1.0522 हेक्टर भूमि में रेस्पो. क्रम 01 के पिता श्री रामा वल्द भैरू व कालू पुत्र श्री रामा जाति चमार (बैरवा) निवासी बरसत ने अपने जीवनकाल में अपने हक व हिस्से की आराजियात का बेचान दिनांक 15.05.1982 को 2900/–

रूपये में अपीलांट को कर दिया था जिसकी राशि रेस्पो. क्रम 01 के पिता व भाई कालू द्वारा अपीलांट से प्राप्त करके कब्जा एवं दखल भी मौके पर संभला दिया था जिसकी लिखापढी भी अपीलांट के पक्ष में 20/–रूपये, 5/–रूपये, 2/–रूपये व 2/–रूपये कुल चार किता कुल कीमती 29/–रूपये के स्टाम्प पर करवाकर अपीलांट को सुपुर्द किया था जिस पर रेस्पो. क्रम 01 व भाई कालू एवं गवाहान छीतरलाल गुर्जर व कालू किशना बैरवा के हस्ताक्षर है, को मौके पर कब्जा एवं दखल संभला दिया गया था। बाद खरीद से हीं अपीलांट उक्त आराजियात पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है जिसे करीबन 42वर्ष हो चुके है। उन सब तथ्यों की ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर न करते हुये एकतरफा निर्णय अपीलांट के विरूद्ध पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त आराजी आबादी के पास स्थित है जिसमें अपीलांट द्वारा बगीचा लगाया हुआ है जिसमें कटहल, आवंला, आम, बोर व नींबू के पेड़ लगे है तथा अपीलांट ने उक्त आराजी को खरीद के बाद पैसा खर्च करके कुआं खुदवाकर कोटर बाउण्डरीवाल करवा रखी है। रेस्पो. क्रम 01 द्वारा यह कार्यवाही 41वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर होने से स्वतः हीं निरस्त होने योग्य है।

प्रकरण में **पेरोकार सरकार** द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद में अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है और अपीलांट द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी जाकर अधीनस्थ न्यायालय में जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय पारित किया गया है।

प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान लटूर बनाम देवीलाल माली मे पारित निर्णय दिनांक 21.10.2024 को पारित किया गया है जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested